23/12/25 पक्ष. श्री वकील प्रार्थी एवं स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित। चूंकि दावा वादी अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जा चुका है अतः प्रा. पत्र 212 बी का वाद अग्रिम शेष नहीं रह पाता है। प्रा. पत्र की फाइल खारिज किया जाता है।

पक्ष. फौजदारी सुधार हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर